"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 जून 2010—आषाढ़ 4, शक 1932

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 जून 2010

क्रमांक ई-1-5/2006/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19-05-2010 द्वारा श्री सौरभ कुमार, भा.प्र.से. (2009:परिवीक्षाधीन) को लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम दौर के प्रशिक्षण की समाप्ति पर राज्य में जिला प्रशिक्षण के लिये सहायक कलेक्टर, बस्तर के पद पर पदस्थ किया गया था. उक्त आदेश के आंशिक संशोधन करते हुए श्री सौरभ कुमार को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. उपर्युक्त अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रथम दौर के प्रशिक्षण के बाद कार्यमुक्त होने पर, कार्य ग्रहण अवधि का लाभ उठाकर अपनी पदस्थापना के जिले में कार्यभार ग्रहण करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

रायपुर, दिनांक 9 जून 2010

क्रमांक 576/485/2010/1-8/स्था.—श्री बी.एल.सोनी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 26-4-2010 से 14-5-2010 तक 19 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बी. एल. सोनी को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एल. सोनी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 9 जून 2010

क्रमांक 578/475/2010/1-8/स्था.—श्री के. सी. वर्मा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को दिनांक 17-5-2010 से 31-5-2010 तक 15 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. वर्मा को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. सी. वर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 9 जून 2010

क्रमांक 580/515/2010/1-8/स्था.—श्री एम. डी. दीवान, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग को दिनांक 14-6-2010 से 18-6-2010 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 12, 13, 19 एवं 20-6-2010 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. डी. दीवान को उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. डी. दीवान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 9 जून 2010

क्रमांक 582/465/2010/1-8/स्था.—श्री के. सुब्रमणियम, सचिव, मुख्यमंत्री को दिनांक 26-5-2010 से 5-6-2010 तक 11 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री के. सुब्रमणियम को सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. सुब्रमणियम अवकाश पर नहीं जाते तो सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर कार्य करते.

रायपुर, दिनांक 9 जून 2010

क्रमांक 584/286/2010/1-8/स्था.—श्री यूनुस अली (भा.व.से.), विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को दिनांक 7-6-2010 से 3-7-2010 तक 27 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 6-6-2010 एवं 4-7-2010 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री यूनुस अली को विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री यूनुस अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 10 जून 2010

क्रमांक 586/484/2010/1-8/स्था.—श्री एम. एस. सोलंकी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (संविदा), मुख्यमंत्री निवास को दिनांक 14-6-2010 से 18-6-2010 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. एस. सोलंकी को विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्यमंत्री निवास के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. एस. सोलंकी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 जून 2010

क्रमांक/एफ 1/11/दो गृह/भापुसे/2004.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अमरेश कुमार मिश्रा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, दंतेवाड़ा, छ. ग. को खंड वर्ष 2010-11 के अंतर्गत गृह नगर बक्सर (बिहार) जाने हेतु दिनांक 03-06-2010 से दिनांक 17-06-2010 तक कुल 15 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए गृह नगर अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति प्रदान करता है.

2. श्री अमरेश कुमार मिश्रा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, दंतेवाड़ा छ. ग. को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. श्री अमरेश कुमार मिश्रा, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्यभार श्री ओ. पी. पॉल, भापुसे, सेनानी, 4 थीं वाहिनी, छसबल, माना, रायपुर को सौंपा जाता है.

4. अवकाश से लौटने पर श्री अमरेश कुमार मिश्रा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, दंतेवाड़ा छ. ग. के पद पर पदस्थ होंगे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमरेश कुमार मिश्रा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, दंतेवाड़ा छ. ग. अवकाश पर नहीं जाते तो कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एच. सिद्धिकी, अवर सचिव.

पशुधन विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 जून 2010

क्रमांक 501/एफ 8-72/35/VCI/2010.—छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा परिषद् नियम, 2005 भाग-2 नियम-7 (क) एवं (ख) के अनुवृत्ति में राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन हेतु निम्नानुसार निर्वाचन अधिकारियों को नियुक्त करता है :—

1.	डॉ. डी. के. सियार, संयुक्त संचालक प.चि.से.	-	रिटर्निंग आफिसर
2.	श्री याकुब खेस्स, उपसचिव, छ. ग. शासन, प.वि.वि.	-	सहायक रिटर्निंग आफिसर
3.	श्रीमती कर्मेला लकड़ा, अवर सचिव, —,,—	-	—,,—

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मई 2010

क्रमांक एफ 2-21/2010/नौ/55.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

अनुसूची-तीन में, सरल क्रमांक 1 एवं 2 के कॉलम (7), में निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"शासकीय, अर्द्धशासकीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा संस्थाओं में कार्यरत या कार्यानुभव प्राप्त चिकित्सा अधिकारियों को, अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लिखित उच्चतम आयु सीमा में एक बार के लिए 05 वर्ष की छूट प्राप्त होगी, तत्पश्चात् यह प्रावधान व्यपगत हो जाएगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 मई 2010

क्रमांक एफ 2-21/2010/नौ/55.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26 मई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, सचिव.

Raipur, the 26th May 2010

No. F 2-21/2010/IX/55.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Public Health (Indian System of Medicine and Homeopathy) (Gazetted) Service Recruitment Rules, 1987, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

In Schedule-III, in column (7) of serial number 1 and 2, the following entries shall be inserted, namely :—

"The Medical officers, workings or having work experience in Government, Semi-Government and other recognised Medical organisations shall get one time relaxation of 5 years in maximum age limit mentioned in column (5) of the Schedule. Thereafter this provision shall stand lapsed".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. S. VISHWAKARMA, Secretary.

रायपुर, दिनांक 4 जून 2010

क्रमांक एफ 25-14/2008/नौ/55.—औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (क्रमांक 23 सन् 1940) की धारा 20 तथा 33-एफ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा पूर्व अधिसूचना क्रमांक एफ 21-13/2008/नौ/55, दिनांक 04 फरवरी, 2009 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, श्री ए. बी. पाठक, संचालक, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, छत्तीसगढ़, रायपुर को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची सी एवं सी (1) में विनिर्दिष्ट औषधियों सहित औषधि एवं प्रसाधन सामग्री हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के लिये शासकीय विश्लेषक नियुक्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 जून 2010

क्रमांक एफ 25-14/2008/नौ/55.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 जून 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, सचिव.

Raipur, the 4th June 2010

No. F 25-14/2008/IX/55.—In exercise of the powers conferred by Section 20 and Section 33-F of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (No. 23 of 1940) and in supersession of previous notification No. F. 21-13/2008/IX/55, dated 4th February, 2009 the State Government, hereby, appoints, Shri A. B. Pathak, Director, Drugs Testing Laboratory, Chhattisgarh, Raipur as Government Analyst for the State of Chhattisgarh for Drugs and Cosmetics including drugs specified in Schedule-C and C (1) of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. S. VISHWAKARMA, Secretary.

ज़ल संसाधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मई 2010

क्रमांक 3844/7-ए/जसं./तशा/औजप्र/02/डी-4.—छत्तीसगढ़ सिंचाई अधिनियम, 1931 (क्र. 3 सन् 1931) के अधीन विरचित नियमों के उपबंधों के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 37 तथा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जल संसाधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1819/7-ए/जसं./तशा/औजप्र/02/डी-4, रायपुर दिनांक 21-03-2006 को अधिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा संपूर्ण राज्य में औद्योगिक प्रयोजन, ताप विद्युत तथा जल विद्युत परियोजनाओं के लिये निम्नलिखित जल-दर निर्धारित करती है :—

क्र.	उपयोग का प्रकार		विशेष विवरण	जल-दर
1.	औद्योगिक प्रयोजन/ताप विद्युत प्रयोजन	अ	**शासकीय स्रोत :—**	
			1 बांध/जलाशय से . . .	रु. 6.00 प्रति घ.मी.
			2 नहर प्रणाली से . . .	रु. 7.00 प्रति घ. मी.
		ब	नैसर्गिक/स्वनिर्मित स्रोत से. . . .	रु. 2.00 प्रति घ. मी.
2.	जल विद्युत प्रयोजन (जल के उपयोग पश्चात् पुनः प्राप्ति)	अ	**अशासकीय स्रोत :—**	
			1 बांध/जलाशय से . . .	60 (साठ) पैसे/विद्युत इकाई उत्पादन एवं 200 (दो सौ) पैसे/100 वि.ई.उ. पर प्रति वर्ष एस्केलेशन चार्जेस
			2 नहर प्रणाली से . . .	70 (सत्तर) पैसे/विद्युत इकाई उत्पादन एवं 250 (दो सौ पचास) पैसे/100 वि.ई.उ. पर प्रति वर्ष एस्केलेशन चार्जेस
		ब	नैसर्गिक/स्वनिर्मित स्रोत से. . .	20 (बीस) पैसे/विद्युत इकाई उत्पादन पर

2. उपरोक्तानुसार निर्धारित जल-दर दिनांक 01-05-2010 से प्रभावशील रहेंगी. इसमें प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि होगी.

3. जल का उपयोग प्रारंभ करने के पूर्व शासन के अनुमोदन उपरांत प्रारूप-7 (क) में अनुबंध निष्पादित किया जायेगा.

4. उपरोक्त दरों का पुनर्निर्धारण प्रति 3 वर्ष के पश्चात् किया जायेगा.

5. निजी संयंत्रों द्वारा निस्सारित किये जाने वाले जल का निस्सरण राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के नियमों के अनुसार नहीं करने पर दोषी संस्थानों को नियमानुसार दण्डित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. खेतान, सचिव.

वित्त एवं योजना विभाग
(योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 जून 2010

क्रमांक एफ 4-6/2010/23/वि.यो.आ.सां.सं.—जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का अधिनियम संख्यांक 18) की धारा 30 (2) (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अधिसूचना क्रमांक 87/2002/23/यो.आ.सां. दिनांक 25 जनवरी, 2002 में विहित प्रारूप क्रमांक 5 (जन्म प्रमाण-पत्र) एवं प्रारूप क्रमांक 6 (मृत्यु प्रमाण-पत्र) के हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं के अलग-अलग प्रारूपों के स्थान पर एतद्द्वारा द्विभाषीय (हिन्दी एवं अंग्रेजी) प्रारूप क्रमांक 5 (जन्म प्रमाण-पत्र) और प्रारूप क्रमांक 6 (मृत्यु प्रमाण-पत्र) संलग्न प्रपत्रानुसार प्रतिस्थापित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, सचिव.

सं. . . . .
No. . . . .

Form - 5

छत्तीसगढ़ शासन
GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
(वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग)
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय

(DEPARTMENT OF FINANCE, PLANNING, ECONOMICS AND STATISTICS)
DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS

जन्म प्रमाण-पत्र
BIRTH CERTIFICATE

(जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 तथा छत्तीसगढ़ राज्य जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2001 के नियम 8/13 के अंतर्गत जारी किया गया)

(Issued under Section 12/17 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 and Rule 8/13 of the Chhattisgarh State Registration of Births and Deaths Rules, 2001)

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना जन्म के मूल लेख से ली गई है जो कि (स्थानीय क्षेत्र) . . . . तहसील . . . . जिला . . . . राज्य . . . . के रजिस्टर में उल्लेखित है.

This is to certify that the following information has been taken from the original record of birth which is the register for (Local area/local body) . . . . of Tehsil/Block . . . . of District . . . . of State/Union territory . . . .

नाम/Name . . . . लिंग/Sex . . . .
जन्म तिथि/Date of Birth. . . . . जन्म स्थान/Place of Birth. . . . .
माता का नाम/Name of Mother . . . .
पिता का नाम/Name of Father. . . . .

बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता/
Address of parents at the time of birth of the child:
. . . .
. . . .
. . . .

माता पिता का स्थायी पता/
Permanent address of parents:
. . . .
. . . .
. . . .

पंजीकरण संख्या/Registration No. . . . .
पंजीकरण दिनांक/Date of Registration. . . . .
टिप्पणी/Remarks (if any). . . . .
जारी करने की तिथि/Date of issue. . . . .

प्राधिकारी के हस्ताक्षर/Signature of the issuing authority
प्राधिकारी का पता/Address of the issuing authority

मोहर/Seal

"Ensure registration of every birth and death/प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें.

सं. . . . .
No. . . . .

Form - 6

छत्तीसगढ़ शासन

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
(वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग)
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय

(DEPARTMENT OF FINANCE, PLANNING, ECONOMICS AND STATISTICS)
DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS

मृत्यु प्रमाण-पत्र
DEATH CERTIFICATE

(जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 तथा छत्तीसगढ़ राज्य जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2001 के नियम 8/13 के अंतर्गत जारी किया गया)

(Issued under Section 12/17 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 and Rule 8/13 of the Chhattisgarh State Registration of Births and Deaths Rules, 2001)

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना मृत्यु के मूल लेख से ली गई है जो कि (स्थानीय क्षेत्र) . . . . तहसील . . . . जिला . . . . राज्य . . . . के रजिस्टर में उल्लेखित है.

This is to certify that the following information has been taken from the original record of death which is the register for (Local area/local body) . . . . of Tehsil/Block . . . . of District . . . . of State/Union territory . . . .

नाम/Name . . . . लिंग/Sex . . . .
मृत्यु तिथि/Date of death. . . . . मृत्यु स्थान/Place of death. . . . .
माता का नाम/Name of Mother . . . .
पिता/पति का नाम/Name of Father/Husband. . . . .

मृतक का मृत्यु के समय का पता/
Address of deceased at the time of death:
. . . .
. . . .

मृतक का स्थायी पता/
Permanent address of the deceased:
. . . .
. . . .

पंजीकरण संख्या/Registration No. . . . .
पंजीकरण दिनांक/Date of Registration. . . . .
टिप्पणी/Remarks (if any). . . . .
जारी करने की तिथि/Date of issue. . . . .

प्राधिकारी के हस्ताक्षर/Signature of the issuing authority
प्राधिकारी का पता/Address of the issuing authority

मोहर/Seal

"Ensure registration of every birth and death/प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करें.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 19 मई 2010

क्रमांक 02/अ-82/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	पण्डरीपानी	2.819	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	जोराडोंगरी जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 मई 2010

क्रमांक-क/भू-अर्जन/01.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	कमरीद प.ह.नं. 04	0.185	कार्यपालन अभियन्ता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चांपा.	सोनियापाठ नहर निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 मई 2010

क्रमांक-क/भू-अर्जन/02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	अमरुवा प.ह.नं. 05	0.024	कार्यपालन अभियन्ता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चांपा.	अमरुवा माइनर नं. 2 नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 14 मई 2010

क्रमांक-क/भू-अर्जन/03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	दर्राभाठा प.ह.नं. 01	0.158	कार्यपालन अभियन्ता, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6, सक्ती.	दर्राभाठा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 10 जून 2010

रा. प्र. क्र./35/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	रामानुजनगर	सोनपुर	0.52	कार्यपालन यंत्री (सि.) सर्वे एवं अनु. संभाग छ. रा. वि. उत्पा. कं. मर्या., अम्बिकापुर.	2×660 मेगावाट भैयाथान ताप विद्युत परियोजना हेतु कॉमन रेलवे लिंक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि. प्रेमनगर/भैयाथान मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 10 जून 2010

रा. प्र. क्र./36/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	पतरापारा	1.62	कार्यपालन यंत्री (सि.) सर्वे एवं अनु. संभाग छ. रा. वि. उत्पा. कं. मर्या., अम्बिकापुर.	2×660 मेगावाट भैयाथान ताप विद्युत परियोजना हेतु कॉमन रेलवे लिंक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि. प्रेमनगर/भैयाथान मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 10 जून 2010

रा. प्र. क्र./37/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	रामानुजनगर	भुनेश्वरपुर	0.13	कार्यपालन यंत्री (सि.) सर्वे एवं अनु. संभाग छ. रा. वि. उत्पा. कं. मर्या., अम्बिकापुर.	2×660 मेगावाट भैयाथान ताप विद्युत परियोजना हेतु कॉमन रेलवे लिंक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि. प्रेमनगर/भैयाथान मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 10 जून 2010

रा. प्र. क्र./38/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	रामानुजनगर	मदनेश्वरपुर	4.29	कार्यपालन यंत्री (सि.) सर्वे एवं अनु. संभाग छ. रा. वि. उत्पा. कं. मर्या., अम्बिकापुर.	2×660 मेगावाट भैयाथान ताप विद्युत परियोजना हेतु कॉमन रेलवे लिंक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि. प्रेमनगर/भैयाथान मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 30 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	तेलीपाली प. ह. नं. 26	2.176	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा (खरसिया)	केलो परियोजना के तेलीपाली माइनर आर. डी. क्रमांक 0 से 1020 मी. तक के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	केनसरा प. ह. नं. 29	5.189	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा खरसिया.	केलो परियोजना अंतर्गत केनसरा माइनर-1 के आर. डी. क्र. 730 से 3270 मी. तक के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 10 जून 2010

रा. प्र. क्र./39/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	रामानुजनगर	कौशलपुर	5.45	कार्यपालन यंत्री (सि.) सर्वे एवं अनु. संभाग छ. रा. वि. उत्पा. कं. मर्या., अम्बिकापुर.	2×660 मेगावाट भैयाथान ताप विद्युत परियोजना हेतु कॉमन रेलवे लिंक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि. प्रेमनगर/भैयाथान मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 10 जून 2010

रा. प्र. क्र./40/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	रामानुजनगर	कैलासपुर	0.93	कार्यपालन यंत्री (सि.) सर्वे एवं अनु. संभाग छ. रा. वि. उत्पा. कं. मर्या., अम्बिकापुर.	2×660 मेगावाट भैयाथान ताप विद्युत परियोजना हेतु कॉमन रेलवे लिंक निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि. प्रेमनगर/भैयाथान मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

रायगढ़, दिनांक 30 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	लिंजीर प. ह. नं. 25	1.912	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा (खरसिया)	केलो परियोजना अंतर्गत लिंजीर माइनर आर. डी. क्रमांक 0 से 1050 मी. तक के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	लिंजीर प. ह. नं. 25	1.511	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना के केनसरा माइनर-1 के आर. डी. क्रमांक 0 से 730 मी. तक के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	तेतला प. ह. नं. 29	1.216	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा (खरसिया)	केलो परियोजना के छींच माइनर आर. डी. क्रमांक 790 मी. से 1105 मी. तक के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को,यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
ज़िला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	जामपाली प. ह. नं. 36	0.558	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा (खरसिया)	केलो परियोजना के छींच माइनर आर. डी. क्रमांक 3210 मी. से 3530 मी. तक के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	केनसरा प. ह. नं. 29	2.062	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा मुख्यालय खरसिया.	केलो परियोजना अंतर्गत केनसरा माइनर-11 के आर. डी. क्र. 0 से 1080 मी. तक के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 30 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	कवरिहा प. ह. नं. 25	4.999	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा (खरसिया).	केलो परियोजना अंतर्गत तेलीपाली माइनर आर. डी. क्रमांक 1020 मी. से 3400 मी. तक के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 10 जून 2010

रा. प्र. क्र./35/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-रामानुजनगर
- (ग) नगर/ग्राम-सोनपुर, प. ह. नं. 64
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.52 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	375/1	0.24
	382/1	0.28
योग	2	0.52

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भैयाथान ताप विद्युत परि. के कॉमन रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि. प्रेमनगर/भैयाथान मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 10 जून 2010

रा. प्र. क्र./36/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सूरजपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पतरापारा, प. ह. नं. 51
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.62 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	741	0.09
	724	0.38
	710	0.31
	711	0.06
	659	0.03
	660	0.06
	748/1	0.34
	749/2	0.05
	726	0.03
	722	0.21
	669	0.06
योग	11	1.62

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भैयाथान ताप विद्युत परि. के कॉमन रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि. प्रेमनगर/भैयाथान मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 10 जून 2010

रा. प्र. क्र./37/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-रामानुजनगर

(ग) नगर/ग्राम-भुनेश्वरपुर, प. ह. नं. 62

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.13 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	604	0.02
	165/1854	0.02
	181/2	0.09
योग	3	0.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भैयाथान ताप विद्युत परि. के कॉमन रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि. प्रेमनगर/भैयाथान मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 10 जून 2010

रा. प्र. क्र./38/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सरगुजा

(ख) तहसील-रामानुजनगर

(ग) नगर/ग्राम-मदनेश्वरपुर, प. ह. नं. 62

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.29 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	2084	0.41
	323/1	0.01
	2075	0.06
	2078/2	0.27
	1960/5	0.10
	1882/4	0.01
	1960/6	0.01
	828	0.06
	1883	0.12
	1607/2	0.20
	967	0.08
	1560/3	0.03
	1574	0.12
	1907	0.10
	500/1	0.34
	500/2	0.26
	501	0.02
	506	0.02
	507	0.03
	508	0.01
	523/1	0.14
	1537	0.03
	1538/3	0.23
	269/2	0.02
	315/3	0.01
	318/4	0.07
	411/3	0.03
	480/1	0.06
	2078/1	0.03
	2078/3	0.26
	358/1	0.02
	418/2	0.05
	477/3	0.04
	963	0.18
	2058/1	0.01
	2058/2	0.10
	421	0.14
	489/2	0.02
	1712	0.37
	1597	0.01
	2038	0.01
	1898/1	0.08
	1671	0.08
	503	0.02
	999	0.02
योग	45	4.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भैयाथान ताप विद्युत परि. के कॉमन रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि. प्रेमनगर/भैयाथान मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 10 जून 2010

रा. प्र. क्र./39/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-रामानुजनगर
(ग) नगर/ग्राम-कौशलपुर, प. ह. नं. 69
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.45 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
771	1.07
780/1	0.89
850/1	0.18
668	0.68
710/3	0.02
712	0.23
674	0.52
780/3	0.89
907/3	0.22
1053/1	0.42
710/2	0.33
योग 11	5.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भैयाथान ताप विद्युत परि. के कॉमन रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि. प्रेमनगर/भैयाथान मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 10 जून 2010

रा. प्र. क्र./40/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-रामानुजनगर
(ग) नगर/ग्राम-कैलासपुर, प. ह. नं. 63
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.93 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
185	0.10
328	0.23
327	0.01
294	0.02
134	0.03
190	0.38
265	0.01
232	0.08
248	0.07
योग 9	0.93

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भैयाथान ताप विद्युत परि. के कॉमन रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, थर्मल पावर परि. प्रेमनगर/भैयाथान मुख्या. अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, कलेक्टर, एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सक्षम अधिकारी सह अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

पामगढ़, दिनांक 7 मई 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपयोग (1) देखें]

क्रमांक/ब-121/46/2009-10.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जरहापारा ग्राम बसंतपुर तहसील चाम्पा, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स वर्धा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी पामगढ़, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	जरहापारा/21	24/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	जरहापारा/21	25/2	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	जरहापारा/21	29/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	जरहापारा/21	30/2	0.03
				0.18

पामगढ़, दिनांक 7 मई 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपयोग (1) देखें]

क्रमांक/ब-121/46/2009-10.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मेऊ ग्राम बसंतपुर तहसील चाम्पा, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स वर्धा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी पामगढ़, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	738	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	750	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	770/1	0.91
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	771/3	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	772/1	0.34
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	772/4	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	772/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	773/1	0.25
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	773/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	773/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	775	0.41
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	780/4	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	780/10	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	728/1	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	728/2	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	728/3	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	728/4	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	728/5	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	728/6	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	727/1	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	727/2	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	727/3	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	724/1	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	724/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	724/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	724/4	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	724/5	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	724/6	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	723/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	724/2	0.22
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	720	0.24

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	719/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	719/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	719/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	716/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	716/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	716/4	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	714/2	0.22
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	841/1	0.23
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	841/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	845/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	845/2	0.26
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	845/3	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	845/4	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	846/3	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	846/16	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	846/2	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	846/12	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	846/17	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	848/2	0.22
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	848/1	0.18
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	848/3	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	849/7	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	770/2	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	770/3	0.31
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	770/4	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेऊ/13	770/5	0.34
				7.08

पामगढ़, दिनांक 7 मई 2010

प्रारूप-ख
[नियम-5 का उपयोग (1) देखें]

क्रमांक/ब-121/46/2009-10.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि डोगाकोहरौद ग्राम बसंतपुर तहसील चाम्पा, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स वर्धा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी पामगढ़, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील का नाम (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	2244	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	2243	0.43
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	2248/2	0.17
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	2249/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	2240/1	0.22
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	2240/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	2241	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	2242	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	2234	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	2235/1	0.30
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	2235/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	2236	0.22
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	2237/1	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	2237/2	0.19
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	2200	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	2199/1	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	2199/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	2195/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	2195/2	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	2193/2	0.6
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	2194	0.1
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	2206/2	0.26
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	2207/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	2210	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	2211	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	2214	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	2215	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	2216	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	2174	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1826	0.22
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1827	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1828	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1839/1	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1839/2	0.7
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1840/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1840/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1841/1	0.23
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1795/2	0.10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1798	0.18
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1796/2	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1497/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1792/2	0.16
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1793	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1794	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1787	0.23
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1862	0.19
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1863	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1865/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1865/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1866/1	0.19
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1867	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1868	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1870	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1882/4	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1883	0.18
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1884	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1886/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1879/1, 1879/2	0.46
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1880/2	0.1
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1881/3	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1878/1	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1878/2	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1891/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1891/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1891/3	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1679/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1679/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1679/3	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1682/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1683/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1684/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1684/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1684/4	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1686	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1687/1	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	डोंगाकोहरौद/9	1688/1	0.1
				9.54

पामगढ़, दिनांक 7 मई 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपयोग (1) देखें]

क्रमांक/ब-121/46/2009-10.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि लोहर्सी ग्राम बसंतपुर तहसील चाम्पा, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स वर्धा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी पामगढ़, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील का नाम (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1396/2	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1385/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1396/1	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1385/3	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1385/3	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1398	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1378/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1378/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1379	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1380/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1450	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1451	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1452	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1454/1	0.00
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1454/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1459	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1458	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1455	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1460	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1470/1	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1470/2	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1473/4	0.16

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1473/2	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1473/6	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1477	0.18
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1476	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1473/7	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1473/8	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1206	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1207/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1207/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1205/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1208/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1208/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1148	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1149	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1118/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1118/2	0.20
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1106/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1106/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1106/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1108	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1107	0.17
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1091	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1092	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1089	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1087	0.20
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1088	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1076	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1078	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1079	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1077/1	0.20
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1080/1	0.18
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	1077/3	0.17
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	987	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	429	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	431	0.32
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	433/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	433/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	391	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	341	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	342	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	331	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	330	0.18
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	329	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	304	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	453	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	454	0.02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	465	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	463/1	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	463/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	471	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	481	11.00
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	472	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	480	0.16
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	479	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	478	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	475/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	477	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	476/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	476/2	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	157/1	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	157/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	201	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	160	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	161/1	0.20
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	161/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	164	0.22
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	165	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	168	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	169/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	169/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	152	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	154/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	172	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	146	0.20
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	147	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	144/1	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	लोहर्सी/20	144/2	0.08
				19.41

पामगढ़, दिनांक 7 मई 2010

प्रारूप–ख

[नियम-5 का उपयोग (1) देखें]

क्रमांक/ब-121/46/2009-10.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि देवरीबानी ग्राम बसंतपुर, तहसील चाम्पा, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स वर्धा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय को घोषित करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी पामगढ़, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	2/3	0.30
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	2/2	0.30
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	10/2	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	11	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	12/3	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	12/4	0.00
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	13/4	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	15	0.00
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	18	0.19
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	19/1	0.00
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	19/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	17	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	21/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	16/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	16/2	0.16
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	37/3	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	37/4	0.00
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	37/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	38	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	40/2	0.18
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	40/1	0.17
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	42	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	43/2	0.22
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	45	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	44/1	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	44/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	44/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	43/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	88	0.26
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	95	0.00
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	92/4	0.19
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	92/3	0.05

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	140/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	141/1	0.00
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	140/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	140/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	139/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	139/2	0.20
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	143/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	143/5	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	143/3	0.22
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	143/2	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	143/4	0.00
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	151/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	152/2	0.37
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	152/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	162/1	0.29
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	163/2	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	163/1	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	164/4	0.34
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	164/2	0.21
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	164/3	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	164/1	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	164/9	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	164/8	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	164/10	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	164/11	0.00
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	देवरीबानी/20	164/5	0.05
				6.08

पामगढ़, दिनांक 7 मई 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपयोग (1) देखें]

क्रमांक/ब-121/46/2009-10.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि चण्डीपारा ग्राम बसंतपुर तहसील चाम्पा, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स वर्धा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी पामगढ़, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	1257	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	1256/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	1256/2	0.16
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	1254	0.23
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	1155/1	0.20
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	1155/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	1153	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	1151/2	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	1152	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	1151/1	0.50
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	1157/1	0.29
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	1157/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	1157/3	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	1161/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	1161/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	1162	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	1163/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	1163/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	1151/3	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	1167/1	0.20
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	1168/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	1146	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	1145/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	1145/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	1144	0.18
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	1137/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	1137/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	1137/3	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	1137/4	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	1138/5	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	1138/4	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	1138/1	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	1138/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	221/1	0.52
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	222/1	0.22
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	225	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	223	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	224/1	0.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	226/1	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	226/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	209/1	0.16
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	209/3	0.16
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	209/4	0.16
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	209/6	0.16
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	188/2	0.16
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	194	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	193	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	195/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	180/8	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	180/1	0.3
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	179	0.75
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	177	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	178/1	0.17
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	176/2	0.22
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	166/2	0.19
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	167/6	0.25
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	167/5	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	168/2	0.23
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	168/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	360	0.35
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	360/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	361/1	0.90
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	359	0.17
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	358/1	0.25
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चण्डीपारा/3	358/9	0.05
				9.42

पामगढ़, दिनांक 7 मई 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपयोग (1) देखें]

क्रमांक/ब-121/46/2009-10.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि चेऊ ग्राम बसंतपुर तहसील चाम्पा, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स वर्धा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी पामगढ़, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	125/1	0.40
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	125/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	119	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	118	0.23
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	117/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	117/2	0.28
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	116/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	112/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	111/1	0.27
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	111/3	0.42
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	111/2	0.00
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	109/3	0.16
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	109/2	0.18
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	109/1	0.17
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	107	0.21
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	106/3	0.19
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	106/2	0.21
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	105	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	103/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	103/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	101	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	100/3	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	99/1	0.23
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	99/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	98/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	98/3	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	87/1	0.36
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	87/2	0.25
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	77/1	0.19
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	77/2	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	72/6	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	73/1	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	73/2	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	71/1	0.34
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	71/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	64/3	0.17

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	63/1	0.33
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	62/1	0.00
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	63/3	0.00
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	63/4	0.00
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	63/5	0.00
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	62/12, 62/14, 62/13, 62/11	0.26
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	69/10	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	51/1, 51/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	49/3	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	48	0.21
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	38/1	0.37
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	39/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	38/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	36/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	36/2	0.26
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	34/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	34/3	0.16
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	34/4	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	35/8	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	32/5	0.00
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	चेऊ/13	32/6	0.15
				7.91

पामगढ़, दिनांक 7 मई 2010

प्रारूप-ख
[नियम-5 का उपयोग (1) देखें]

क्रमांक/ब-121/46/2009-10.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पामगढ़ ग्राम बसंतपुर तहसील चाम्पा, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स वर्धा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी,

अनुविभागीय अधिकारी पामगढ़, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/3	278/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/3	278/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/3	278/3	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/3	278/4	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/3	278/5	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/3	278/6	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/3	278/7	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/3	278/8	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/3	278/9	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/3	278/10	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/3	278/11	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/3	278/12	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/3	278/13	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/3	277/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/3	277/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/3	277/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/3	277/4	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/3	277/5	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/3	277/6	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/3	277/7	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/3	277/8	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/3	277/9	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/3	277/10	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/3	277/11	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/3	277/12	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/3	277/13	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/3	277/14	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/3	277/15	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/3	276	0.21
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/3	275/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/3	275/2, 275/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/3	275/4, 275/5	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/3	275/6	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/3	136	0.18
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/3	135/1, 135/2	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/3	135/3, 135/4, 135/5	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/3	135/6	0.03

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	पामगढ़/3	135/7, 135/8, 135/9, 136/10, 135/11, 135/12, 135/13, 134/1, 134/2	0.06
				1.84

पामगढ़, दिनांक 7 मई 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपयोग (1) देखें]

रा.प्र.क्र./46/ब-121/2009-10.--राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि धरदेई ग्राम बसंतपुर तहसील चाम्पा, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स वर्धा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी पामगढ़, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	1000	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	999	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	1002/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	1002/4	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	997/1	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	1003/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	1003/1	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	1004/1	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	1004/2	0.06

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	1022/1	0.20
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	1022/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	1023/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	1023/3, 1024/4	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	1024/5	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	1024/6	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	1024/7	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	982/1	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	982/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	982/4	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	982/5	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	982/6	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	982/7	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	982/8	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	1025	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	937	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	935/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	935/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	929/1	0.40
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	929/3	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	928/4	0.19
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	928/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	928/2	0.17
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	879/2	0.25
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	882/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	881/1	0:05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	881/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	882/1	0.25
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	883/2	0.20
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	883/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	888/2	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	883/4	0.50
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	883/6	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	883/7	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	884	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	885/1	0.40
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	885/4	0.18
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	885/5	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	887/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	887/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	887/5	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	887/6	0.02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	887/7	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	887/9	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	886	0.22
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	862/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	862/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	862/5	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	862/6	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	862/8	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	862/9	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	862/10	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	862/11	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	862/12	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	862/38	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	862/39	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	867/40	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	865/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	665/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	664/1	0.30
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	884/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	884/3	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	884/4	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	664/5	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	688	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	626/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	626/2	0.20
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	624/4	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	626/5	0.16
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	626/6	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	226/8	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	226/9	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	226/11	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	226/13	5.00
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	629/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	629/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	629/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	629/4	0.50
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	629/5	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	629/6	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	629/7	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	धरदेई/16	629/9	0.04
				12.72

पामगढ़, दिनांक 7 मई 2010

प्रारूप-ख
[नियम-5 का उपयोग (1) देखें]

क्रमांक ब-121/46/2009-10.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मेहंदी ग्राम बसंतपुर तहसील चाम्पा, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स वर्धा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी पामगढ़, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	427/1	0.22
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	427/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	353/12	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	353/9	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	346/5	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	353/10	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	352/12	0.30
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	351/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	352/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	352/14	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	348/9	0.20
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	348/4	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	348/6	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	349/1	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	349/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	349/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	349/4	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	349/7	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	342/1	0.80

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	342/2	0.22
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	342/3	0.60
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	342/4	0.40
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	341	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	340/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	221/9	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	221/13	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	221/1	0.42
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	221/8	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	211/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	211/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	211/3	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	208/8	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	209/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	207/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	208/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	208/5	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	208/6	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	188/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	187/1	0.60
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	187/2	0.20
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	185/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	185/4	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	185/6	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	185/7	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	156/1	0.55
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	161	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	162/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	163/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	163/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	168/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	169	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	177/2	0.25
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	170	0.50
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	138	0.28
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	139	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	137/2	0.25
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	मेहंदी/15	137/3	0.25
				7.60

पामगढ़, दिनांक 7 मई 2010

प्रारूप-ख
[नियम-5 का उपयोग (1) देखें]

क्रमांक ब-121/46/2009-10.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि राहौद ग्राम बसंतपुर तहसील चाम्पा, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स वर्धा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी पामगढ़, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	694	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	693	0.00
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	692/1	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	692/2	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	692/3	0.21
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	692/4	0.21
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2790	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2791	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	689/1	0.20
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	691	0.17
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	685	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	689/2	0.30
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	690	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	689/1 k	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	680/1	0.19
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2821/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2821/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2822/1	0.18
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2823	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2824	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2827	0.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2820	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2826/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	2812/1 k	0.34
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	510	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	500	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	499/2	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	501	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	503	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	504	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	505	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	506	0.21
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	492	0.20
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	495/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	480/1	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	480/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	480/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	478/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	481	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	483	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	484	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	460	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	536/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	536/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	537	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	452	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	453/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	454/3	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	453/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	482	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	423/1g	0.40
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	423/2	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	421/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	421/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	412	0.22
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	413	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	403/1	0.34
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	400	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	401, 402/1	0.16
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	388	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	389/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	389/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	358	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	359	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	360	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	349/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	340/1	0.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	341	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	342	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	344/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	333/2	0.20
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	333/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	334/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	336/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	326/1	0.26
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	326/4	0.27
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1430/4	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1430/5	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1431/1	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1431/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1433/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1434/6	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1442/3, 1464/2, 1464/3, 1466/1 kh	0.21
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1466/3	0.22
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1467/2	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1470/2, 1470/1 kh 1470/1 k	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1470/3	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1444/2	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1445	0.16
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1466/2	0.28
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1442/2 kh	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1441	0.16
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	1440	1.50
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	राहौद/17	455/2	0.10
				10.85

पामगढ़, दिनांक 7 मई 2010

प्रारूप-ख
[नियम-5 का उपयोग (1) देखें]

क्रमांक ब-121/46/2009-10.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि शुकुलपारा ग्राम बसंतपुर तहसील चाम्पा, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स वर्धा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 संन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी पामगढ़, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	605	0.47
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	603	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	604	0.20
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	606	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	609	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	630	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	614	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	615/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	616	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	622	0.40
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	621	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2850/2	0.20
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	370	0.28
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	371	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	374/4	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	374/5	0.0
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	374	0.1
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	368	0.3
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	392/2	0.5
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	390/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	390/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	384	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	385/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	348	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	383	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	349	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	350/1	0.20
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	350/2	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	350/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	338	0.26
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	351	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	281	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	282/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	282/2	0.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	283	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	284	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	285/1	0.17
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	256	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	291	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	295/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	295/2	0.30
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	293/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	295/5	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1326	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1327	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1488/3	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1486	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1489/1, 1489/2	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1489/3, 1489/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1490	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2460	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1492	0.32
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1496	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1497	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1498	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1589	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1588/1	0.24
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1590	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1600	0.20
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1600/1	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1604/1	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1604/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1604/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1605	0.70
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1621	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1620/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1620/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1624/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1624/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1627/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1627/2	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1626/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1626/2	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1626/3	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1630	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1458	0.06

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1460	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1469	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1462	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1229	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1226/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1228	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1216	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1214	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1212	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1215	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1213	0.21
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1230/1	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1230	0.28
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1224/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1492	0.32
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1502	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1491	0.40
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1504	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1501/1	0.80
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1502	0.90
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1501/2	0.25
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1503/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	103/2	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1505	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1575/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1575/2	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1578/3	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1510	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1513	0.18
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1516	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1574	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1516	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1553/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1553/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1552	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1551	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1550	0.20
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1556	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1549	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1758	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1759	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1760	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1768	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1769	0.04

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1770	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1772	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1773/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1773/2	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1777/1	0.16
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1777/2	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1798	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1793	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1794	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	1795	0.20
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2731	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2730	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2733	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2729	0.09
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2769	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2765	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2768	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2771	0.22
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2774/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2775	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2776	0.37
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2785/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2787/1	0.19
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2287/2	0.21
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2787/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2798	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2799	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2801	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2811/4	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2810/3	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2810/6	0.25
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2840/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2839	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2841	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2830	0.21
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2844/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2844/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2845	0.20
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	शुकुलपारा/21	2846/3	0.13
				19.01

पामगढ़, दिनांक 7 मई 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपयोग (1) देखें]

क्रमांक ब-121/46/2009-10.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि झूलन ग्राम बसंतपुर तहसील चाम्पा, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स वर्धा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी पामगढ़, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झूलन/3	257	0.30
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झूलन/3	258/1	0.33
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झूलन/3	263/3	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झूलन/3	263/1	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झूलन/3	269/1	0.60
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झूलन/3	269/2	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झूलन/3	301/12	0.20
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झूलन/3	301/10	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झूलन/3	301/13	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झूलन/3	301/118	0.20
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झूलन/3	301/31	0.53
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झूलन/3	301/84, 301/83	0.17
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झूलन/3	301/26, 301/27	0.24
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झूलन/3	301/29	0.24
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झूलन/3	303/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झूलन/3	303/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झूलन/3	301/20	0.30
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झूलन/3	301/19	0.24
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झूलन/3	301/46	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झूलन/3	306/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झूलन/3	306/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झूलन/3	308	0.03

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झूलन/3	309/1	0.32
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झूलन/3	105/1	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झूलन/3	105/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झूलन/3	105/3	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झूलन/3	103/1	0.43
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झूलन/3	98/7	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झूलन/3	98/5	0.20
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झूलन/3	97/4	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झूलन/3	97/3	0.25
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झूलन/3	97/2	0.11
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झूलन/3	97/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झूलन/3	92	0.30
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	झूलन/3	94	0.45
				6.67

पामगढ़, दिनांक 7 मई 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपयोग (1) देखें]

क्रमांक ब-121/46/2009-10.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि रोझनडीह ग्राम बसंतपुर तहसील चाम्पा, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स वर्धा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी पामगढ़, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	रोझनडीह/3	120/2	0.39

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	रोझनडीह/3	102/1	0.18
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	रोझनडीह/3	102/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	रोझनडीह/3	101/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	रोझनडीह/3	101/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	रोझनडीह/3	98	0.10
				0.85

पामगढ़, दिनांक 7 मई 2010

प्रारूप-ख

[नियम 5 का उपयोग (1) देखें]

क्रमांक ब-121/46/2009-10.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भड़ेरियापारा ग्राम बमनपुर तहसील चाम्पा, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स वर्धा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी पामगढ़, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	689/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	689/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	688	0.16
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	692	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	687	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	693	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	694	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	686	0.05

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	685	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	695	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	503	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	502	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	500	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	506/2	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	506/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	480	0.10
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	479	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	426	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	427	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	466	0.00
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	468	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	467	0.18
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	459	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	460	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	462	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	461	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	453	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	454	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	452	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	448	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	450/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	450/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	451/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	451/2	0.00
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	139/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	139/3	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	88/1	0.00
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	140/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	140/2	0.00
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	86	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	83	0.04
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	52	0.29
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	80	0.00
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	81	0.00
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	82	0.00
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	84	0.00
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	53	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	43	0.07
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	54/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	54/2	0.00
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	442/2	0.12
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	42/1	0.15
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	41/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	41/2	0.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	29	0.13
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	19/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	30	0.02
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	18/1	0.22
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	15/2	0.14
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	15/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	16	0.08
जांजगीर-चाम्पा	पामगढ़	भड़ेरियापारा/21	3	0.01
				3.36

एच. सी. शर्मा
सक्षम अधिकारी,
सह अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

कार्यालय, सक्षम अधिकारी सह अनुविभागीय अधिकारी (रा.), चाम्पा, जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

चाम्पा, दिनांक 20 मई 2010

प्रारूप-ख
[नियम-5 का उपयोग (1) देखें]

क्रमांक 641/प्र-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बसंतपुर ग्राम बसंतपुर तहसील चाम्पा, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, ज़िला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स वर्धा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बसंतपुर/22	205	0.10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बसंतपुर/22	206	0.15
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बसंतपुर/22	64	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बसंतपुर/22	65	0.06
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बसंतपुर/22	66	0.06
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बसंतपुर/22	68	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बसंतपुर/22	69	0.09
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बसंतपुर/22	70	0.05
				0.58

चाम्पा, दिनांक 20 मई 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपयोग (1) देखें]

क्रमांक 642/प्र-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिर्रा ग्राम बसंतपुर तहसील चाम्पा, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स वर्धा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3841	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3842/3	0.12
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3840	0.09
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3839	0.10
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3843	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	37[illegible]8/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3798/2	0.12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3838	0.15
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3837	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3836	0.11
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3808	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3810/2	0.15
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3811/4	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3811/3	0.15
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3812/2	0.11
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3812/3	0.10
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3815/1	0.15
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3816	0.11
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3817	0.12
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3818	0.10
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	बिर्रा/22	3819	0.05
				1.98

चाम्पा, दिनांक 20 मई 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपयोग (1) देखें]

क्रमांक 643/प्र-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि देवरानी ग्राम बसंतपुर तहसील चाम्पा, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स वर्धा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1274/2	0.02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1273	0.17
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1272, 1217/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1216	0.04
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1215	0.12
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1214	0.09
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1213/1	0.27
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1149/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1147/1, 1147/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1146/1	0.22
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1146/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1150/1,	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1151/1, 1151/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1145, 1153/1	0.13
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	1152	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	153/1	0.58
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	127/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	127/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	148/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	128/4	0.25
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	128/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	91/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	91/2	0.08
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	79	0.13
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	78	0.06
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	77	0.16
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	74	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	76/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	76/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	75	0.25
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	96/4	0.06
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	96/1	0.21
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	2/3	0.04
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरानी/22	99	0.10
				3.61

चाम्पा, दिनांक 20 मई 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपयोग (1) देखें]

क्रमांक 644/प्र-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि देवरहा ग्राम बसंतपुर तहसील चाम्पा, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स वर्धा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशंय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	536	0.08
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	537	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	530	0.10
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	529	0.18
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	538	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	287/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	289/1, 289/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	288	0.06
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	284	0.08
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	283	0.14
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	282	0.15
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	274/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	274/7	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	274/6	0.09
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	274/4	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	274/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	274/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	263	0.09
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	273/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	273/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	264	0.09
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	265	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	261	0.12
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	316/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	316/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	254	0.11
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	260	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	252/1, 252/2	0.16
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	317	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	251	0.16

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	250	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	335/4	0.18
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	340	0.15
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	335/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	335/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	335/3	0.06
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	341	0.04
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	343	0.04
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	344/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	345	0.14
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	346/1, 346/2, 346/3, 346/4	0.12
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	347	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	78	0.11
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	70	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	71	0.17
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	72	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	64/2, 64/1, 64/3	0.16
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	66/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	66/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	28	0.15
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	32/1	0.18
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	32/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	15/1	0.23
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	15/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	15/7	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	14	0.11
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	13/1	0.25
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	13/5	0.08
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	13/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	13/3	0.09
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	13/4	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	12/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	देवरहा/23	12/2	0.04
				4.80

चाम्पा, दिनांक 20 मई 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपयोग (1) देखें]

क्रमांक 645/प्र-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सिलाडीह ग्राम बसंतपुर तहसील चाम्पा, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स वर्धा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, संक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील का नाम (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	932	0.30
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	933	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	930	0.18
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	927	0.11
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	925/2	0.50
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	926/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	919/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	919/2	0.08
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	921	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	920/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	920/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	916/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	916/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	915/2	0.15
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	914	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	913	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	894	0.04
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	905/1	0.20
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	905/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	895/1	0.20
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	895/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	891	0.50
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	897	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	899/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	899/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	899/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	898	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	900	0.04
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1101/2	0.12
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1101/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1100/2	0.05

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1100/1	0.20
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1103	0.90
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1104	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1170/2	0.19
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1170/1	0.15
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1168/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1166	0.09
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1165	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1164	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1163/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1163/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1162/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1162/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1161/1	0.21
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1161/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1159	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1158/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1158/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1158/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1158/4	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1158/5	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1200	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1201	0.10
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1157/1	0.17
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1157/2	0.23
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1154	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1155/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1155/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1155/3	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1155/4	0.14
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1155/5	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1156/1	0.11
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1156/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1228	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1231	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1232/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1231/1	0.11
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1232/3	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1233/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1233/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1236/1	0.07

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1236/2	0.13
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1239	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1248	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1267/2	0.09
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1267/1	0.09
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	2570/8	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	2434/1 क	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	2439	0.10
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	2433/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	2433/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	2433/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	2442	0.09
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	2443/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	2443/2	0.08
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	2445/3	0.12
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1446/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1446/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	2447/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	2447/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	2447/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	2449/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	2448	0.10
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	2427	0.90
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	2426	0.80
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	2425	0.07
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	2424	0.06
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	2423	0.08
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	2422/1, 2422/2	0.23
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	2421/1, 2421/2, 2421/3	0.17
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1232/3, 1233, 1237, 1236/1	0.40
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1236/2, 1267/2	0.12
जांजगीर-चाम्पा	चांपा	सिलाडीह/23	1266	0.02
				11.30

एस. के. गुप्ता
सक्षम अधिकारी,
सह अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

कार्यालय, सक्षम अधिकारी सह अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

जांजगीर, दिनांक 7 मई 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपयोग (1) देखें]

क्रमांक/4262/प्र-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि तुस्मा ग्राम बसंतपुर तहसील चाम्पा, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स वर्धा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी जांजगीर, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2334/41	0.25
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2334/35	0.17
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2334/34	0.19
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2334/34	0.67
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2329/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2331	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2322	0.17
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2335/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2377	0.12
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2379/3	0.16
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2376/8	0.47
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2585/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2585/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2585/3	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2585/4	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	2585/5	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	922/1 c	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	922/1 d	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	922/1 e	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	922/1 f	0.03

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	922/1 g	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	922/1 h	0.70
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	922/1 i	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	922/1 j	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	922/1 k	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	922/1 l	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	922/1 m	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	922/1 n	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	922/1 o	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	922/1 p	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	922/1 q	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	812	0.21
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	813	0.28
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/1	0.09
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/2	0.11
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/3	0.13
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/4 a	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/6	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/7 a	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/8 a	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/10	0.20
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/11	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/12	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/13	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/14	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/15	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/16	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/17	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/18	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/19	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/20	0.06
जांजगीर चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/21	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	869/22	0.17
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	863	0.55
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	तुस्मा/14	867/1	0.10
				6.33

जांजगीर, दिनांक 7 मई 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपयोग (1) देखें]

क्रमांक/4262/प्र-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि दुरपा ग्राम बसंतपुर तहसील चाम्पा, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स वंर्धा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी जांजगीर, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1946/1	0.15
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1946/2	0.12
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1946/3	0.12
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1946/4	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1946/5	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1944	0.15
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1945/1	0.60
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1945/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1945/3	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1941/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1941/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1941/4	0.90
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1943/2	0.20
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1939	0.13
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1940/1	0.30
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1940/2	0.20
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1940/3	0.20
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1728/4	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1728/3	0.16
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1728/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1725/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1727	0.60
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1726/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1724	0.16
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1723/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1723/1	0.15
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1722/3	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1720	0.14
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1721/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1718/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1718/3	0.10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1716	0.09
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1717/1	0.40
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1717/2	0.20
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1718	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1715	0.13
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1714	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1713/1	0.09
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1713/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1708	0.09
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1709	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1710	0.11
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1707/3	0.15
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1707/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1707/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1706	0.20
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1711	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1794/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	दुरपा/15	1789	0.02
				7.15

जांजगीर, दिनांक 7 मई 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपयोग (1) देखें]

क्रमांक/4262/प्र-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि कनसदा ग्राम बसंतपुर तहसील चाम्पा, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स वर्धा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव हैं, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी,

अनुविभागीय अधिकारी जांजगीर, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील का नाम (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनसदा/22	516	0.23
जांजगीर-चांम्पा	नवागढ़	कनसदा/22	566/6	0.13
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनसदा/22	568/2	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनसदा/22	568/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनसदा/22	569	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनसदा/22	570	0.09
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनसदा/22	559/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनसदा/22	551/2	0.14
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनसदा/22	554, 552	0.14
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनसदा/22	555	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनसदा/22	550	0.13
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनसदा/22	549	0.20
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनसदा/22	610/3	0.20
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनसदा/22	610/2	0.27
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनसदा/22	610/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनसदा/22	611/1	0.12
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनसदा/22	546/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनसदा/22	612/1	0.17
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनसदा/22	614	0.19
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनसदा/22	611/2	0.12
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनसदा/22	619/2	0.19
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनसदा/22	622/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनसदा/22	629/1	0.32
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनसदा/22	629/2	0.11
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनसदा/22	634/1	0.40
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनसदा/22	637/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनसदा/22	648/1	0.43
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनसदा/22	648/3	0.23
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	कनसदा/22	649/1	0.01
				4.23

जांजगीर, दिनांक 7 मई 2010

प्रारूप-ख
[नियम-5 का उपयोग (1) देखें]

क्रमांक/4262/प्र-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भोगहापारा ग्राम बसंतपुर तहसील चाम्पा, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स वर्धा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी जांजगीर, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	भोगहापारा/14	256/1	0.40
				0.40

जांजगीर, दिनांक 7 मई 2010

प्रारूप-ख
[नियम-5 का उपयोग (1) देखें]

क्रमांक/4262/प्र-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि महंतपारा ग्राम बसंतपुर तहसील चाम्पा, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स वर्धा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी जांजगीर, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	7	0.23
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	36	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	8/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	44/2, 44/3	0.16
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	44/1	0.09
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	37	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	45	0.17
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	41	0.09
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	43	0.14
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	42	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	47	0.50
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	131	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	132	0.34
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	181/2	0.09
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	186/1	0.58
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	185/1	0.22
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	185/2	0.22
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	172/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	172/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	172/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	172/4	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	171/1, 171/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	185/1	0.22
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	185/2	0.22
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	181/1, 184/1, 184/2	0.28
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	190	0.48
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	191	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	192	0.30
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	193	0.41
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	194	0.55
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	195, 196	0.60
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	197	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	198	0.30
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	199	0.23
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	200	0.14
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	201	0.43
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	202/1, 202/2	0.90
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	214	0.05

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	188/1 क, 189/1, 189/2, 189/3 क, 189/4, 189/5 क, 189/6, 189/7 क	1.92
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	189/8 क	0.84
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	188/1 ख, 189/1 ग, 189/2 ग, 189/3 ग, 189/4 ग, 189/5 ग, 189/6 ग, 189/7 ग, 189/8 ग, 205/1 च	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	188/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	188/3, 189/1 ख, 189/2 ख, 189/3 ख, 189/4 ख, 189/5 ख, 189/6 ख, 189/7 ख, 189/8 ख, 205/1 ग	0.23
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	188/4, 189/1 घ, 189/2 घ, 189/3 घ, 189/4 घ, 189/5 घ, 189/6 घ, 189/7 घ, 189/8 घ, 205/1	0.22
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	188/5, 189/1 ङ, 189/2 ङ, 189/3 ङ, 189/4 ङ, 189/5 ङ, 189/6 ङ, 189/7 ङ, 189/8 ङ	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	188/6, 189/1 च, 189/2 च, 189/3 च, 189/4 च, 189/5 च, 189/6 च, 189/7 च, 189/8 च	0.15
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	203/1 क, 203/2 क, 204/2 क, 206/1 क, 208/1 क	0.2½
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	203/1 ख, 203/2 ख, 204/2 ख, 206/1 ख, 208/1 ख	0.2½
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	203/1 ग, 203/3 ग, 203/4 ग, 204/2 ग, 206/1 ग, 208/1 ग	0.13
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	203/3 क, 204/3 क, 206/3 क, 208/2 क	0.2½
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	203/3 ख, 204/3 ख, 206/3 ख, 208/3 ख	0.2½
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	203/3 ग 1, 204/3 ग 1, 206/3 ग 1, 208/2	0.2½
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	203/4 क, 204/4 क, 208/3 क 206/4 क	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	203/3 ग 2, 204/3 ग 2, 206/6 ग 1, 208/2 ग 2	0.1½
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	203/4 ख	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	203/4 ग, 204/4 ख, 206/4 ख, 206/3 ख	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	203/5, 204/5, 206/5, 208/4	0.17

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	203/6, 204/6, 206/6, 208/5	0.17
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	203/7, 204/7, 206/7, 208/6	0.17
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	203/8 क, 204/8 क, 206/8 क, 207/8 क	0.12
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	203/8 ख, 204/8 ख, 206/8 ख, 208/7 ख	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	129/1, 128/1, 111/1, 113/1, 114/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	129/2, 111/2, 113/2, 114/2, 128, 129/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	111/3, 113/3, 114/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	129/4, 128/4, 111/4, 113/4, 114/4	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	129/5, 128/5, 111/5, 113/5, 114/5	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	129/6, 128/6, 111/6, 113/6, 114/6	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	129/7, 128/7, 111/7, 113/7, 114/7	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	129/8, 111/8, 113/8, 114/8	0.13
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	129/9	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	115/10	0.18
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	115/11, 115/15	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	116/14	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	146	0.12
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	115/24 क	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	115/24 ख	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	205/1 क	0.15
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	205/1 खक	0.17
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	205/1 ख 2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	206/3 ग 2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	205/1 gh	0.19
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	205/1 ङ	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	205/1 ज	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	205/2 क	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	205 ख, 206/2 ख	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	205/2 ग, 206/2 ग	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	205/2 घ, 206/2 घ	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	205/2 ङ	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	205/2 च, 206/2 च	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	206/3 ग	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	207/1	0.01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	207/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	207/3	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	207/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	207/5	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	महंतपारा/14	207/6	0.01
				22.22

जांजगीर, दिनांक 7 मई 2010

प्रारूप-ख
[नियम-5 का उपयोग (1) देखें]

क्रमांक/4262/प्र-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मुड़पार ग्राम बसंतपुर तहसील चाम्पा, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स वर्धा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी जांजगीर, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1549	0.21
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1843	0.19
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1842	0.18
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1847	0.11
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1839	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1838	0.19
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1833	0.24
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1822/4	0.05

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1823	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1824	0.12
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1826	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1799/1, 1799/2	0.27
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1799/4	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1796/1	0.35
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1795	0.20
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1794	0.19
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1790/1	0.12
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1790/2	0.00
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1790/3	0.00
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1789	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1768	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1769	0.14
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1770	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1771	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1749/1	0.22
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1749/2	0.00
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1749/3	0.00
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1749/4	0.00
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1731	0.09
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1730	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1728	0.09
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1727	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1726	0.09
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1707	0.11
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1708	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1691	0.32
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1692/1, 1692/2, 1692/3	0.14
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1670	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1671	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1480/1	0.15
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1462	0.31
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1480	0.15
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1482	0.21
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1489	0.09
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1487	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	मुड़पार/23	1452	0.01
				5.40

जांजगीर, दिनांक 7 मई 2010

प्रारूप-ख.
[नियम-5 का उपयोग (1) देखें]

क्रमांक/4262/प्र-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नगारीडीह ग्राम बसंतपुर तहसील चाम्पा, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स वर्धा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है; उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी जांजगीर, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1023	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1025/3	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1025/2	0.09
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1025/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1000/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1000/6	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1000/7	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1000/8	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1001/5	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	999	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	997	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	998	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	995/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	995/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	996/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	993	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1045/1	0.20
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1045/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1050/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1635	0.12
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1636/1	0.02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1636/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1634	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1631/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1631/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1632	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1633/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1607/1	0.22
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1624/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1624/2	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1621	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1618	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1619	0.09
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1615	0.12
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1591	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1592	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1572, 1573	0.12
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1574/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1522/8	0.12
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1522/4	0.12
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1522/5	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1522/2	0.12
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1575	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1521	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1519	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1524	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1517, 1518	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1527	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1528	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1168	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1167/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1167/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1166	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1165	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1164/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1164/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1149/1, 1149/2	0.20
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1163	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1156	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1155	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1154	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1151	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1152	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1153/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1199	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1200/5	0.12

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1200/1, 1200/2	0.09
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1200/6	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1201/1	0.11
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1200/3	0.16
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1452	0.15
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1439/2, 1440/1, 1440/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1441	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1250/1	0.09
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1250/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1247/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1253/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1253/3	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1255	0.15
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1254	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1317	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1257	0.14
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1258	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1256/1	0.15
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1259	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	नगारीडीह/23	1262	0.05
				5.72

जांजगीर, दिनांक 7 मई 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपयोग (1) देखें]

क्रमांक/4262/प्र-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि केरा ग्राम बसंतपुर तहसील चाम्पा, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स वर्धा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी,

अनुविभागीय अधिकारी जांजगीर, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील का नाम (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	2155/1, 2155/2, 2155/3, 2155/4, 2155/5	0.29
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	2144	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	2145	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	2148/1, 2148/2, 2148/3, 2149	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	2150/1, 2150/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	2151	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	2152/1, 2152/2, 2152/3, 2152/4	0.13
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1907/1	0.11
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1907/2 क, 1907/2 ख, 1907/2 ग	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1907/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1908	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1909	0.14
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1910/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1911/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1900	0.19
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1899/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1896/1	0.11
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1896/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1895/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1895/2	0.09
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1892	0.09
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1889	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1890	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1894	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1891	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1888/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1887	0.14
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1882/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1881	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1878	0.27
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1879/1	0.25
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1879/2	0.25
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1880	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1875/2	0.12
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1875/1	0.26
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1875/3	0.10

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1876/3	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1876/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1874	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1873/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1844/1	0.20
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1844/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1844/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1844/4	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1835	0.27
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1833	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1834	0.19
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1794/1	0.14
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1789	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1786/1	0.15
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1786/2, 1786/3	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1784	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1785	0.14
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1829	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1783/1	0.14
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1783/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1572/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1572/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1577	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1576	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1578	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1579	0.11
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1552	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1548	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1522	0.13
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1523	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1524/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1524/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1519/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1525/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1525/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1526/1 क	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1525/1 ख	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1422/9	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1422/10	0.15
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1416/1	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1416/2	0.18
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1417/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1417/2	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1412/2	0.33
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1411/5	0.03

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1015/4	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1015/3	0.11
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1015/5	0.11
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1009	0.17
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1011/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1016	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1011/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1010/2	0.15
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1008	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1022/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1022/2	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1022/3	0.20
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1023/1, 1023/2	0.13
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1024/1	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	994/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1096	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1097	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1099	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	1000	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	994/2	0.03
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	995/2	0.14
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	949	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	950	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	952/1	0.11
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	954/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	940/1	0.20
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	940/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	941	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	928	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	938/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	939/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	934	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	935	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	937	0.15
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	936	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	938	0.01
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	केरा/23	960/3	0.05
				8.63

जांजगीर, दिनांक 7 मई 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपयोग (1) देखें]

क्रमांक/4262/प्र-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि देवरीसंगम ग्राम बसंतपुर तहसील चाम्पा, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स वर्धा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी जांजगीर, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरी संगम/23	71/1	0.32
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरी संगम/24	71/3	0.32
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरी संगम/25	70/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरी संगम/26	22/3	0.05
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरी संगम/27	69/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरी संगम/28	68	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरी संगम/29	67	0.11
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरी संगम/30	66/3	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरी संगम/31	72/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरी संगम/32	23/9	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरी संगम/33	65/3	0.04
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरी संगम/34	39	0.15
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरी संगम/35	40	0.64
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरी संगम/36	36/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरी संगम/37	37/3	0.10
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरी संगम/38	37/4	0.07
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरी संगम/39	38/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरी संगम/40	34/3	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरी संगम/41	34/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरी संगम/42	34/1	0.12
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरी संगम/43	34/6	0.12
जांजगीर-चाम्पा	नवागढ़	देवरी संगम/44	35	0.03
				2.70

जांजगीर, दिनांक 7 मई 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपयोग (1) देखें]

क्रमांक/4262/प्र-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पकरिया ग्राम बसंतपुर तहसील चाम्पा, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स वर्धा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी जांजगीर, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील का नाम (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1340/1	0.15
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1333	0.04
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1332	0.30
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1331	0.23
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1330/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1329/1	0.16
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1328	0.04
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1310	0.61
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1311	0.01
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1308	0.02
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1355/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1360	0.06
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1307	0.21
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1304	0.26
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1303	0.15
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1302/2	0.08
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1302/3	0.08
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1302/4	0.07
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1301/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1301/2	0.06

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1300/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1300/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1300/9	0.10
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1300/10	0.09
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1300/12	0.09
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1291	0.14
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1290/1	0.14
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1290/2	0.15
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1240/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1241/1	0.06
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1241/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1242	0.07
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1243/1	0.03
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1241/3	0.06
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1276/1 kh	0.07
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1276/2	0.06
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1289	0.06
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1262/7	0.15
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1262/6	0.15
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1262/16	0.15
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1259/7	0.12
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1259/5	0.12
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1259/3	0.12
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1259/8	0.12
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1083/1	0.17
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1083/6	0.18
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1083/3	0.17
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1084/14	0.10
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1084/9	0.10
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1084/15	0.12
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1079/1	0.51
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1071	0.27
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1066/1	0.19
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1066/2	0.15
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1061/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1061/2	0.12
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	पकरिया/10	1062/2	0.01
				7.21

जांजगीर, दिनांक 24 मई 2010

प्रारूप-ख
[नियम-5 का उपयोग (1) देखें]

क्रमांक/4262/प्र-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि झिलमिला ग्राम बसंतपुर तहसील चाम्पा, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स वर्धा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी जांजगीर, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला (1)	तहसील का नाम (2)	ग्राम/प. ह. नं. (3)	खसरा नंबर (4)	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में) (5)
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झिलमीला/10	100/1, 100/2	0.10
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झिलमीला/10	99/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झिलमीला/10	99/2	0.41
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झिलमीला/10	92	0.24
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झिलमीला/10	94	0.03
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झिलमीला/10	93/1	0.20
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झिलमीला/10	93/2	0.02
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झिलमीला/10	91/1	0.02
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झिलमीला/10	91/2	0.08
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झिलमीला/10	91/3	0.10
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झिलमीला/10	89	0.21
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झिलमीला/10	88/1, 88/2	0.11
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झिलमीला/10	83/1	0.26
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झिलमीला/10	84/1	0.09
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झिलमीला/10	80/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झिलमीला/10	80/1	0.15
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झिलमीला/10	76/1	0.15
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झिलमीला/10	76/2	0.15
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झिलमीला/10	68/1	1.4
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झिलमीला/10	47	0.36
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झिलमीला/10	46	0.45
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झिलमीला/10	10/1	0.13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झिलमीला/10	10/2	0.13
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झिलमीला/10	10/3	0.14
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झिलमीला/10	9/2	0.17
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झिलमीला/10	9/1	0.10
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झिलमीला/10	5/4	0.06
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झिलमीला/10	5/3	0.07
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झिलमीला/10	6	0.12
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झिलमीला/10	2/1, 2/2, 2/3, 2/4	0.47
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	झिलमीला/10	1/1	0.2
				6.02

आर. सी. श्रीवास्तव,
सक्षम अधिकारी,
सह अनुविभागीय अधिकारी (रा.)